RAJYA SABHA

Friday th *December,* 1987/ 20 *Agrahayana,* 1909 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

Mr Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

'501. [The *questioner (Shri Suresh Pachouri) was absent.* For answer, vide *col.* 33-34 *infra.]*

Inquiry into the working: of the Minorities Commission

502. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state;

(a) whether Government propose to institute an enquiry about the unsatisfactory working and poor performance of the Minorities Commission; and

(b) if so, by when such an enquiry is proposed to be held?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI): (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Really, I was disappointed by this rather curt reply of the hon. Minister. It would have been better if it had be?n supplemented by gome reasons. I would like to know from the hon. Minister if, according to the Minister, the working and the performance of the Commission is up to the mark and if she is satisfied with the working of its Chairman.

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: The hon. Member had asked in *his* main question whether any enquiry has been instituted so far and I said 'No'. The second part of the question is: if so, by when such an enquiry is proposed to be held, and I said 'Does not arise'. It is not a curt reply but the fact is that the Government has not instituted any enquiry against the Commission. What the hon. Member ia referring to is not an enquiry against the Commission but what some Members raised a point against the Chairman of the Commission. So, an enquiry against the Commission does not arise.

DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Sir, I had, in my supplementary, specifically asked whether the Minister is satisfied with the performance and working of the Commission...

DR RAJENDRA KUMARI BAJPAI; I am satisfied with the working of the Commission and the performance of its Chairman.

DR. MOHD. HASHIM KIDWAI:... and if so, will she come out with some details and convince us of the satisfactory working and performance of the Commission.

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: The Commission wa$ constituted in 1978 and the purpose of the Commission at that time and the main function of the Commission, as given in the Resolution, was to evaluate the working of the various safeguards provided in the Constitution for the minorities and the laws passed by the Union and State Governments. From time to time, the Commission is furnishing reports to the Government and till now, four such reports have been placed before Parliament, also before the Rajya Sabha, and other reports are ready, and they will also be placed before Parliament. They have to see to the functioning of the safeguards for the minorities, and from time to time they "an? Tur-nishing their reports on that. They are not an executive body; they are only evaluating and reporting to the Government.

श्री खलील-उर-रहमान: मैं मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा से यह जानना चाहता हूं कि मौजूदा कमीशन कब कायम हुआ

था और कितनी मुद्दत के लिए कायम हुआ था? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कमीशन ने अभी तक कोई रिपोर्ट पेश की है और अगर रिपोर्ट पेश की है तो हुकूमत ने उस पर क्या ऐक्शन लिया है?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : गवर्नमेंट के पास अभी तक सात रिपोर्टें आई हैं जिनमें से चार रिपोर्टें हाउस की टेबल पर रख दी गई हैं . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : कितनी प्लैंस की हैं?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : चार मैंने कहा है।

अगली जो रिपोर्ट है उसका अभी हिन्दी में ट्रांसलेशन होना है। उसके बाद उसका ऐक्शन टेकन मेमोरेन्डम तैयार करेंगे और तब जाकर यह होगा। यह काफी ऐक्टिव कंसीडरेशन में है।

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस आयोग ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का अल्पसंख्यकों के लिए जो 15-सूत्री कार्यक्रम था, उसका विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है? यदि की है तो उस पर शासन के स्तर पर क्या विचार हुआ है, क्या कार्यवाही हुई है?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : 15-प्वाइंट प्रोग्राम जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में लागू किया था उसके सिलसिले में स्टेट चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, गवर्नर्स की भी मीटिंग हुई है और स्टेट गवर्नमेंटस को कहा गया है कि इसकी बाकायदा मोनेटरिंग की जाय। प्रायः हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर के लेवल पर और चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर उनकी मोनेटरिंग की जाती है और यह देखा जाता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। इसके जो अलग अलग हिस्से हैं जैसा पहले से सातवीं तक के 15 हिस्से हैं जिसका ला एण्ड आर्डर एवं प्रिवेंशन से संबंध है। स्टेट गवर्नमेंटस को डाइरेक्टिव दी गई है, कहा गया है कि वे बातचीत करके इसे करें। स्टेट गवर्नमेंट्स इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही है। जो सरकार के पास रिपोर्ट है . . . (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है?

डा० राजेन्द्र कुमार वाजपेयी : इम्प्लीमेंटेशन में यह हुआ है कि किसी स्टेट में अगर कोई कम्युनल राइट होता है तो उसको टैकल करने के लिए पहले से ही डिस्ट्रिक्ट आथारिटीज जो है उनको कहा गया है कि वे उसको देखें और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनके खिलाफ ऐक्शन लेने की बात है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स को यह कहा गया है कि वे मिलीजुली ऐसी फोर्स तैयार करें जो कि लोकल लेवल पर इसको देखे। (**व्यवधान**) . . . कई स्टेट्स में इस काम के लिए ऐसी फोर्सेज तैयार की है। यह मिली-जुली फोर्स हैं। साथ ही साथ जो राइट विक्टिम होते हैं उनको 20 हजार रुपया कम्पनसेशन देने के लिए एक यूनिफार्म तरीका हर स्टेट ने अपनाना मान लिया है। इसी तरीके से जो दूसरी रेकमन्डेशन्स हैं जैसे माइनारिटीज के डेवलपमेंट का सवाल है, उनके सोशो-एकानामिक डेवलपमेंट का सवाल है, वक्फ एकानामिक डेवलपमेंट का सवाल है, वक्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान देने की बात है, उनके एजूकेशन का सवाल है इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अभी रीसेन्टली जो गवर्नर्स की कान्फ्रेंस हुई थी उसमें भी यह एजेन्डा था और इस चीज को खासतौर से देखने के लिए कहा गया है। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री अजीत जोगी : स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं यह बतायें और इसको आप किस रूप में परव्यू कर रहे हैं?

डा० राजेन्द्र कुमार वाजपेयी : मैंने बताया कि एक तो कम्युनल हारमोनी है,

दूसरा इम्प्लीमेंटेशन की बात है, फिर एजुकेशन का प्रोग्राम है, वक्फ प्रॉपर्टी का सवाल है, उनका ठीक प्रबन्ध करने की बात है और जो माइनारिटीज के ग्रिवांसेज है, माइनारिटीज की जो शिकायतें हैं उनको सुनने के सिलसिले में जगह-जगह पर माइनारिटी सेल कायम करके गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल कर रही है।

श्री मोर्जा इर्शादबेग : सभापति, जी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को कानून के तहत प्रोटेक्शन दिया गया है, उसकी रक्षा का वचन दिया गया है। सभापति जी, पिछली सरकार ने और वर्तमान सरकार ने भी इस बात को सामने रखते हुए एक सम्पूर्ण तरीके से एक नये कार्य क्रम 15-प्वाइंट प्रोग्राम का आयोजन किया है। लेकिन पिछली बार मंत्री जी ने यह कहा था कि राज्यों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार इसका जो अमलीकरण होना चाहिए वह संतोषजनक नहीं है। माइनारिटी कमीशन की जो रिकोंडेशंस आती हैं उसमें देश को जो माइनारिटी है मैं समझता हूं कि...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप प्रश्न करिये।

श्री मोर्जा इर्शादबेग : मैं वही कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि माइनारिटी कमीशन की रिपोर्ट, इस देश के अल्प संख्यकों की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ दे सकती है। मंत्री जी को मैं इसकी इम्पोर्टेन्स बता रहा हूं कि माइनारिटी कमीशन के कुछ मेम्बरान ने...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : वह सब जानती हैं। आप प्रश्न करिये।

श्री मोर्जा इर्शादबेग: जो वर्किंग के लिए चेयरमैन के साथ अपना को आपरेशन नहीं देते हैं, उसके खिलाफ लिखकर आवेदन पत्र दिये हैं, इसी वजह से मैं यह पूछना चाहता हूं कि माइनारिटी कमीशन की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही के अंतर्गत अगर मेम्बरान उससे सेटिसफाइड नहीं है तो इस सिलसिले में आप चेयरमैन को तब्दील करने के लिए या इस कमीशन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए क्या कोई आगामी कार्यक्रम लेना चाहती है?

श्री सभापति : पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया था, समझ गयी थी कि किसके लिए सवाल है।

श्री मोर्जा इर्शादबेग लेकिन मेमोरेंडम दिया है। ...(**व्यवधान**)...

डा राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : माननीय सभापति जी, माइनारिटी कमीशन के चेयरमैन या मेम्बरान के बीच में कोई बात होती है कोई मामला होता है तो गवर्नमेंट नहीं पड़ना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट कमीशन के काम से और चेयरमैन के काम से पूरी तरह सैटिसफाइड है।

श्री सभापति : श्री सत्य प्रकाश मालवीय

श्री राम अवधेश सिंह : *

श्री सभापति : आप बैठिये। आपने हाथ दिया है जब आपका नम्बर आयेगा तब देंगे। अभी मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, मैंने आपको काल नहीं किया है। जो आपने कहा है वह रिकार्ड पर नहीं आयेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : *

श्री सभापति : इसलिए कि आप बिना इजाजत बोल रहे हैं, आपका कुछ नहीं आयेगा, मैं आपसे ज्यादा समझता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के संबंध में डा गोपाल सिंह आयोग जो बैठाया गया था इसकी नियुक्ति कब हुई थी, उन्होंने किस तारीख को अपनी संस्तुति दी और उनकी मुख्य मुख्य संस्तुतियां क्या थीं तथा उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

*Not recorded.

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : डा० गोपाल सिंह आयोग बनाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। हम उसको देख रहे हैं, उसका इवैल्यूशन हो रहा है, कंसीडरेशन हो रहा है।

श्री सभापति : वह तो दूसरा कमीशन था माइनारिटी कमीशन नहीं था।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : वह अलग चीज है, वह आयोग बैठाया गया था लेकिन ये दो अलग चीजें हैं।

श्री सभापति : इसके पहले हुआ था।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : नहीं गोपाल सिंह आयोग की रिपोर्ट भी है। लेकिन वह और यह कमीशन दो अलग चीजें हैं।

श्री सभापति : उनकी कोई रिपोर्ट आपने उनको दी है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : नहीं, अभी नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा स्पष्ट कहना है कि अल्पसंख्यकों के संबंध में था। किस तारीख को नियुक्ति दी, कब उन्होंने संस्तुति दी, तारीख बता दीजिए...कब सरकार को रिपोर्ट दी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, मंत्री जी को तैयार रहना चाहिए। यह प्रश्न अल्पसंख्यकों के संबंध में है... **(व्यवधान)**

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : डा० गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट जरूरी है लेकिन उसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन् क्या यह सच है कि कमीशन के अधिकार क्षेत्र में जम्मू-काश्मीर नहीं आता ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : यह तो आप लोगों ने ही बनाया था उस वक्त जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप इस जवाब से संतुष्ट है ?

श्री सभापति : आपके राज्य में नहीं आया, किसी के राज्य में आया लेकिन जवाब दें कि क्या कारण है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, हमने जो किया था वही इन्होंने करना है तो इनका वही हाल होगा जो हमारा हुआ था।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : नहीं, नहीं माननीय सभापति जी... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : दोनों वाजपेयियों में बातचीत होने दो।... **(व्यवधान)**

श्री विट्ठलराव माधवराव गाडगे : दो वाजपेयियों के बीच की बात है ना—दोनों वाजपेयियों में झगड़ा है।

श्री सभापति : दोनों वाजपेयियों में हम लोग कैसे बीच में आ जाएं।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : माननीय सभापति जी यह कमीशन एक रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया जनता पार्टी की गवर्नमेंट में—12 जनवरी 1978 में यह बात की गई थी और इसमें इस तरह का कहीं उल्लेख नहीं है कि यह जम्मू-काश्मीर में लागू होगा कि नहीं होगा। यह प्रश्न अभी उठाया गया—अभी यह प्रश्न उठा रहे हैं। इस रेजोल्यूशन के अंदर यह चीज कहीं नहीं है।

श्री सभापति : इसके रेजोल्यूशन में नहीं है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : इसमें नहीं है।

श्री सभापति : तो अब आप उसको ले रही हैं।

डा राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : ऐसी माइनार्टीज के संबंध में.....

श्री सभापति : सब के बारे में ख्याल रखिये।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : ऐसी माइनारिटीज के संबंध में काश्मीर गवर्नमेंट से बातचीत होती है और जो वहां पर भी माइनारिटी सेल हैं वह काम करते हैं और देखते हैं। अभी वहां पर माइनारिटी में हिंदू हैं मुसलमान नहीं हैं। यह माइनारिटीज कमीशन तो उन लोगों के लिए बनाई गई थी जोकि रेलीजियस और लिंग्युस्टिक माइनार्टी से संबंधित लोग हैं।

श्री सभापति : पूरे देश में।

डा राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : जी और यह जो कमीशन है—यह माइनारिटी उस सेंस में माइनारिटी नहीं है जम्मू-काश्मीर में लेकिन वहां की माइनारिटीज को वहां की सरकार देखे इसलिए हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से वहां की सरकार को बारबार लिखा जाता है और उन्होंने भी अपने यहां इसकी देखरेख के लिए एक स्पेशल सेल बनाया है। वह कमीशन से अलग चीज है।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति जी मेरी सूचना के मुताबिक दो कारणों से माइनारिटीज कमीशन की सही ढंग से फंक्शनिंग नहीं हो रही है।

पहला कारण यह है कि कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं उनका कार्यान्वयन सरकार नहीं कर पाती है जिससे बहुत मायूसी है। तो पहला हिस्सा मेरा यह होगा कि कौनसी ऐसी मुख्य सिफारिशें हैं जिनको सरकार ने लागू नहीं किया है?

दूसरा कारण जिससे गड़बड़ी हो रही है वह यह है कि उसके चेयरमैन और सदस्यों के बीच काफी मतभेद है और उन्होंने मेमोरेंडम भी सरकार को दिया है। तो सरकार उसका भी कोई निराकरण नहीं कर पा रही है। तो इसका क्या कारण है? इन दो बिंदुओं पर मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

डा राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : माइनारिटीज कमीशन किस तरह से फंक्शन करेगा और किस तरह से मेम्बर्ज के साथ काम बांट करके करेगा, यह उनके चेयरमैन और मेम्बरान के बीच होता है।

इसलिए सरकार रोज-रोज दखल नहीं देती है। जो मेम्बरान या जो मेम्बर और किसी ने तो बताया नहीं, अगर किसी एक मेम्बर ने शिकायत की है, तो वह भी पार्ट आफ दी कमीशन है, तो उनको अपने मामलों को कमीशन के अंदर ही बैठ कर के तय करना चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने जो पहले कहा कि जो उन्होंने मुख्य सिफारिशें की हैं, उनका सरकार ने कार्यान्वयन नहीं किया है, जिससे वहां बड़ी मायूसी है। तो ऐसी कौनसी सिफारिशें हैं, जिनको आपने अस्वीकृत कर दिया है, यह जरा बताइए।

MR. CHAIRMAN: How many recommendations have you rejected?

डा राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैं बता रही हूं। अभी तक चार रिपोर्टस प्रस्तुत की गई हैं और तीन अंडर कनसिडेशन भी हैं।

श्री सभापति : तो अभी—

—you have not rejected any?

डा राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : अभी कोई रिजेक्ट नहीं की है।

श्री चतुरानन मिश्र : रिपोर्टस नहीं पूछ रहे हैं, हम रेकोमेंडेशन कह रहे हैं, साहब।

श्री सभापति : वह तो कह रही है कि कई रेकोमेंडेशन रिजैक्ट हुआ है।

श्री चतुरानन मिश्र : रेकोमेंडेशन तो हैं उसमें, नहीं कैसे हैं?

श्री सभापति : नहीं, वह कह रही हैं कि रिजैक्ट नहीं हुई हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने कहा कि नका सरकार ने कार्यान्वियन नहीं किया इहै।हमने तो यह पूछा है।..(**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : विचार ही नहीं हुआ है।

श्री चतुरानन मिश्र : नहीं, नहीं, जिन अनुशंसाओं का सरकार ने क्रियान्वयन नहीं किया है, इसके चलते मायूसी है। तो मैंने कहा कि किन-किन रेकोमेंडेशन को आपने अभी तक कार्यान्वियन नहीं किया है, यह बताइये।

श्री सभापति : वह कार्यान्वियन के बारे में पूछ रहे हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : जहां तक कि पिछली चार रिपोर्टस का सवाल है, उनकी काफी रेकोमेंडेशंस—उनकी संख्या तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वह चार रिपोर्टस मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन जो विशेष-विशेष रेकोमेंडेशंस हैं, उनको सरकार लागू कर रही है।

श्री चतुरानन मिश्र : वही बताइये।

श्री सभापति : अभी उन्होंने चार-पांच बताई ना।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैंने अभी तो बताई।...(**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र : रिपोर्ट और रेकोमेंडेशंस अलग-अलग हैं।...(**व्यवधान**)

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : माइनारिटीज के सवाल को लेकर या एजुकेशनल मैटर को लेकर, उनकी इम्पलायमेंट को लेकर, उनकी डेवेलपमेंट के सवाल को लेकर, माइनारिटीज कमीशन...(**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : यह क्या जवाब दे रही हैं।?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : अब यह रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, कि मैं एक, दो, तीन करके उसको बता दूंगी, लेकिन जो जनरल वे में रिपोर्ट की बातें हैं, उनको गवर्नमेंट ने 1982, 1983, तथा 1984, इन वर्षों में लागू किया है। 15 प्वाइंट प्रोग्राम भी एक उसका आउट-कम है जिसके द्वारा उनको लागू किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन सैल वगैरह बना करके उनको ज्यादा देखना और कुछ समय पहले, एक-डेढ़ साल पहले चेयरमैन, माइनारिटी कमीशन हमारे जो हैं जस्टिस बेग, इनको यू० जी० सी० के साथ भी उन्होंने एजुकेशन से संबंधित बातों को ले करके काफी काम किया है। यह जो रिपोर्ट है उसमें रिसर्च के बारे में भी है जो माइनारिटीज प्राब्लम्ज हैं वे क्यों, कहां पर और कैसे अराइज होती हैं उसकी रिसर्च पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जगह-जगह जो मानिटरिंग की बात कही जाती है उसके बारे में भी ध्यान दिया जाता है। ये चीजें रिपोर्ट के अन्दर हैं और उनको हम कर रहे हैं।

श्री रफीक आलम : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि माइनारिटी कमीशन ने मेरठ रायट्स के बारे में क्या रिपोर्ट दी है और इस सिलसिले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मेरठ रायट्स के बारे में तो इसका इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात मैं बार-बार कहना चाहती हूं कि माइनारिटी कमीशन का काम कोई एग्जीक्यूटिव काम नहीं है वह अपनी राय दे सकती है, किसी तरह का ओपीनियन दे सकता है और राय उन्होंने दी है। रायट्स के बारे में अलग से रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री शरद यादव : सभापति महोदया, मंत्री जी के जवाब को लगातार मैंने सुना यानी बार-बार वही सवाल पूछे जा रहे हैं और वह उनका जवाब ठीक से नहीं दे पा रही हैं। सभापति जी, मेरा कहना है कि यह जो माइनारिटी कमीशन है इसमें मिश्र जी ने भी बहुत साफ तौर पर पूछा कि इसने जो सिफारिशें दी हैं उनको आपने लागू नहीं किया और कब तक आप लागू करने वाले हैं? क्या जब माइनारिटी बिल्कुल नहीं बचेगी, तब? दूसरा, मेरा कहना है कि माइनारिटी कमीशन की सिफारिशें आपके पास बहुत दिनों से रखी हुई हैं यानी माइनारिटी कमीशन की रिपोर्ट इनके पास रखी हुई है, पहले वाले सवाल पर ही मेरा यह कहना है कि यह जो रस्म अदाई का काम कर रहे हैं कि यह जनता पार्टी ने बनाई थी इसलिए इसमें उदासीनता है और तमाम तरह से इसको चला रहे हैं और इनके कमेटी के बीच में जो मतभेद हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसमें समन्वय कायम रहे और उसमें मतभेद न हों। इसलिए सभापति जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि इनके बीच में समन्वय कायम किया जाए और समन्वय नहीं होता है तो इस पर अध्यक्ष का इस्तीफा मंजूर किया जाए जिससे कि यह बेहतर तरीके से काम कर सके, इसमें सरकार का क्या कहना है?

श्री सभापति : आप इसके बारे में बताइये कि अगर उनका इस्तीफा आये तो आप मंजूर करेंगी?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सवाल ही नहीं उठता। माननीय सभापति जी, हमने उसकी टर्म तीसरी बार एक्सटेंड की है और उनके काम से हम पूरी तरह से सन्तुष्ट हैं। इसलिए सवाल ही नहीं उठता।

श्री सभापति : वह इस्तीफा दें तो क्या मंजूर करेंगी कि नहीं करेंगी? . . . (**व्यवधान**)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मैंने तो कहा सवाल ही नहीं उठता। मैं जोरदार तरीके से "नहीं" कह रही हूं। . . . (**व्यवधान**)

श्री शरद यादव : सभापति जी मैंने यह कहा कि अगर समन्वय कायम नहीं हो तो उस पर सरकार को उनका इस्तीफा मंजूर करना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए या फिर समन्वय स्थापित करना चाहिए?

श्री सभापति : वह कह रही है कि नहीं। . . . (**व्यवधान**)

श्री शरद यादव : इतनी बार यह सवाल पूछा है कि इस कमीशन को बैठा करके यह कमीशन दुरुस्त तरीके से काम करे इसकी जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं? यदि उसमें समन्वय नहीं है, यदि मतभेद है तो उनको दूर करें और अगर मतभेद दूर नहीं होते हैं तो फिर इस अध्यक्ष को अलग करके आप नया अध्यक्ष समन्वय वाला बैठा लें।

श्री सभापति : अगला प्रश्न। प्रश्न नं० 503

Classification of poultry- as Industry Or agriculture

*503. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the reasons for which Poultry, being agro-based, is not considered as an industry or at par with agriculture; and

(b) whether Government propose to classify it as agriculture or industry to encourage poultry and to give it tax exemption status enjoyed by it prior to 1976?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) Poultry is a State subject; Government of India has recommended to all States/Union Territories giving poultry farming for production of eggs and table poultry, the status of Agri-J culture for purpose of electricity